Email

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/मंडी फीस शोध्य राशि/661/1502 भोपाल दिनांक 24/06/2022

प्रति,

संयुक्त संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (समस्त)

विषय:-मंडियों की शोध्य राशि की वसूली संबंधी लंबित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

म.प्र.कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 20 एवं 21 में लेखा सत्यापन और धारा 19 आदि में मंडी समिति में वेष्ठित अधिकारों के तहत विभिन्न स्थितियों में साधारण दर अथवा दांडिक मंडी फीस का निर्धारिण किया जाता है। यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश की मंडी समितियों में मंडी फीस की शोध्य राशि के व्यापक संख्या में प्रकरण लंबित है, जिनका अपरिर्हय परिस्थितियों में निराकरण नही हो पा रहा है।

अत: आपके संभाग के तहत वर्तमान में मंडी फीस के लंबित शोध्य प्रकरणों की मंडीवार संख्या तथा उसमें निहित राशि की जानकारी निम्न प्रारूप में संकलित कर मुख्यालय की नियमन शाखा को ई-मेल-ddsdhm.jdas@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध करायें-

-----------संभाग की मंडियों अंतर्गत मंडी फीस शोध्य राशि के लंबित प्रकरणों का विवरण-पत्रक
(दिनांक 15.06.2022 की स्थिति में)

मंडी का नाम	लेखा सत्यापन अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या		अंकेक्षण आपत्ति अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या		न्यायालयीन स्थगन अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या		अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों की संख्या		रिमार्क
1	2		3		4		5		6
1	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	रिमार्क

उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी दिनांक 30.06.2022 तक ई-मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/मंडी फीस शोध्य राशि/661/ 1503 भोपाल दिनांक 24/06/2022

प्रतिलिपि :-

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नागत जानकारी 03 दिवस में अपने आंचलिक अधिकारी को उपलब्ध कराई जाये। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि मंडी स्तर से सीधे उक्त जानकारी मुख्यालय को संप्रेषित या पृष्ठांकित नही की जावेगी।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

C:\Users\Dell\Desktop\Preeti - Copy\Niyaman\Niyaman - Letters.docx